SHRI S. MUTHU MANI: Madam, I want to associate myself with this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI S. MUTHU MANI: I would make only one point. I have been the General Secretary of the trade union affiliated to the AIADMK. I want to submit through you to the Central Government one or two points. The Bonus Act came into force in 1965. The ceiling for payment of bonus was fixed at 8.33%. But for the last thirty years, this ceiling has not been changed. I submit to the Government that it is high time that the Government brought an amendment raising the ceiling from 8.33% to at least 15%.

Madam, the ceiling in that provision is on two counts — one in the matter of calculation and the other in the matter of eligibility. Both these should be scrapped. So, for this purpose also, I request the Government to bring the necessary amendment in the provision and render justice to the workers of this nation.

Re. Comprehensive Legislation for Agricultural Workers

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Through you, Madam, I would like to bring to the notice of the Government the urgent need for passing a comprehensive legislation for agricultural workers in this country. This is not a new issue before this House. I have raised this issue many times. Many of my colleagues have raised this issue many times in this Houses. The Government also many times assured this House that they would be bringing a comprehensive legislation for agricultural workers in this country. From 1980 onwards, the Government had been and has been telling us that they are bringing this legislation before this House. But nothing is coming forward. It is reliably learnt that an influential section of the landlords' lobby is trying to scuttle this Bill. So, I urge upon the Government to come forward in this Session itself with a comprehensive legislation for the agricultural workers in this country. Thank you.

RE. PROBLEMS OF SUGAR-CANE GROWERS OF EASTERN UTTAR PRADESH

श्री देवी प्रसाद सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापित महोदया, गांव के समाज से उठ कर इस देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का मुझे मौका मिला। आज मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है। हो सकता है कि मेरे बोलने में कुछ त्रुटियां हो जाएं जिसके लिए मैं क्षमा पहले ही मांग लेना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से आया हूं जो बिहार से सटा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला। वैसे तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गन्ना किसानों की समस्याओं पर कई दफा चर्चा हो चुकी है, लोक सभा में भी हो चुकी है लेकिन पुनः मुझे यह मामला इस हाऊस में उठाना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पिछले एक वर्ष से राष्ट्रपति शासन की यातनाएं झेल रहा है। वहां अभी चुनाव हुए, आशाएं बंधी थीं कि कोई जनप्रिय सरकार आएगी, कोई लोकप्रिय सरकार आएगी और हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा लेकिन यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि चुने जाने के बाद भी, चुनाव हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश पुनः राष्ट्रपति शासन की यातनाओं को भोगने के लिए बाध्य हो रहा है। ऐसी दशा में इस सदन के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है जहां हम अपनी बात कह सकें इसलिए मैं इस बात को यहां उठाना चाहता हूं।

आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का लगभग एक तिहाई भाग गन्ना किसान है। हमारे इलाके में या पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, उसके संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि गन्ना किसान कर्ज़ लेकर खेती करता है। पानी के लिए उसे दिक्कत होती है, खाद समय पर नहीं मिलती है, कीटनाशक दवाइयां उसे नहीं मिलती हैं, किसी तरह से कर्ज़ा लेकर वह अपने खेत में गन्ना बोता है, पानी डालता है, फसल पैदा करता है और पैदा करने के बाद उसकी समस्या और बढ़ जाती है। बेटियां पैदा होती हैं तो मां-बाप उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि जब बड़ी होगी तो उसकी शादी करेंगे, बड़े घर में भेजेंगे। ठीक उसी हालत में आज गन्ना किसान पड़ा हुआ है। वह जिस दिन गन्ना खेत में बोता है, उसको

लगता है कि हमारी फसल पैदा होगी और हम इसका मूल्य पाएंगे और उस मूल्य के हिसाब से ही बिटिया की शादी करेंगे, बेटे को पढ़ाई कराएंगे, बाप की दवा करेंगे, इस तरह से अलग-अलग योजनाएं बनाता है लेकिन होता क्या है? उसे पर्चियां नहीं मिलती हैं। अगर पर्चियां मिलती भी है तो आधी-अधूरी मिलती है। अगर उसने गन्ना गिरा दिया तो उसको दाम नहीं मिलता है। अगर किसी तरह से दो-चार पर्चियां मिल भी गईं तब तक गन्ना खेत में सूख जाता है। उसे जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो एक स्थिति तो यह है गन्ना किसानों की।

दूसरी स्थिति क्या है? हमारे यहां 14 मिलें हैं देवरिया और अन्य ज़िलों में। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना ग्रोअर्स की हालत यह है कि उनका पिछले कई वर्षों का बकाया अदा नहीं हुआ है। ये गन्ना मिलें किसकी हैं? कुछ तो सरकारी हैं, कुछ कारपोरेशन्स की हैं और कुछ प्राइवेट हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कम से कम सरकारी मिलें जो हैं, उनका बकाया तो अदा किया जाए जिसके लिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। प्रांत में तो कोई सरकार है ही नहीं और जो दूसरी टैक्सटाइल मिलें हैं, इन मिलों पर बकाया पड़ा हुआ है, इसके कौन जिम्मेदार हैं? वह किसान कहां जाएगा?

मैडम, हमारे मित्र बता रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का बकाया है जबकि मेरी जानकारी यह है कि सिर्फ गोरखपुर कमिश्नरी में एक अरब रुपए का बकाया है। उस गन्ना किसान का, गरीब किसान का यह एक अरब रुपया बकाया अदा नहीं हुआ है और दूसरी तरफ सरकारी बकाया जो उसके ऊपर है, उसके लिए उस पर कुर्की की जाती है। वह हवालात में बंद होता है। उसका पैसा सरकार खा जाती है और गन्ना किसान जिसने सरकार को कर्ज़ा दिया हुआ है, जिसका सरकार ने कर्ज़ा खाया हुआ है, वह गन्ना किसान जेलों में बंद होता है। मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, खासकर गन्ना किसान परेशान है और उसके बकाया पैसे का भुगतान होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से दो-तीन बिन्दुओं पर सरकार से मांग करूंगा। एक तो किसान को जो गन्ना मिलों को देना पड़ता है वह सस्ती दर पर देना पड़ता है। सरकार ने कुछ भाव बढ़ाये थे और उसके खिलाफ मिल मालिक हाई कोर्ट में चले गये तथा हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। आज स्थिति यह है कि उनकी पर्चियों पर दाम भी नहीं लिखे जाते हैं। मिल वाले कहते हैं कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, तब होगा, वह पता नहीं कब होगा?..**(व्यवधान)**..बस दो मिनट..**(व्यवधान)**..

उपसभापति: आपका मेडन स्पीच है जरूर, अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर बोलते हैं तो मैं घंटी नहीं बजाती।

श्री देवी प्रसाद सिंह: मैडम, मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक मिनट में। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो गन्ने का भाव कम से कम 72 रुपये प्रति क्विंटल किया जाये और उनकी पर्चियों का भुगतान चेकों द्वारा कराया जाये। दूसरी मेरी मांग है कि मिलों को तुरन्त चलाया जाए। आज इस वक्त गन्ना खेतों में खड़ा है और अभी तक मिलों में चिमनियों का धुआं नहीं निकल रहा है। वे लेट पिराई शुरू करेंगी। इसलिए मेरी मांग है कि मिलों को चालू किया जाये और उनको मिलों को चलाने के लिए तब तक बाध्य किया जाये जब तक कि किसानों का गन्ना उनके खेत से समाप्त नहीं हो जाता है। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि किसानों का बकाया जो है वह सब ब्याज सहित अदा कराया जाये और जब तक सरकार उनके गन्ने का बकाया मूल्य अदा नहीं कर पाती तब तक किसी प्रकार का सरकारी कर्ज किसानों से न वसूला जाये।..**(व्यवधान)**..
और अन्त में मैं निवेदन कर रहा हूं..**(व्यवधान)**..

उपसभापति: काफी बातें बोल दीं हैं, अब आप..**(व्यवधान)**..

श्री देवी प्रसाद सिंह: मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए में आपका बहुत ही आभारी हूं।

उपसभापति: मेरी आज्ञा राजनाथ सिंह जी अब आप मान लीजिए। आपका कोई मेडन वेडन नहीं है। आप बहुत बोलते हैं हाउस में..**(व्यवधान)**..

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रेदश): मैडम, माननीय सदस्य ने इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है उससे मैं अपने आप को संबद्ध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गन्ना किसानों की समस्या दिनों-दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। प्रधान मंत्री जी के द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद गन्ना किसानों का भला नहीं हुआ है।..**(व्यवधान)**.. और विशेषरूप से सरकारी मिलों के द्वारा 50 फीसदी से ज्यादा भुगतान नहीं हुआ है।..**(व्यवधान)**.. गन्ना

किसानों का भुगतान किया जाना चाहिए।..(**व्यवधान**).. और साथ ही ..(**व्यवधान**)..

•**विपक्ष के नेता श्री सिकन्दर बख्त**: सदर साहिबा, राजनाथ सिंह के नामों में उलझ कर कहीं आप न रह जाये।..(**व्यवधान**)..

•

†[شری سکندر بخت : صدر صاحبہ - راج ناتھ سنگھ کے ناموں میں الجھ کر کہیں آپ نہ رہ جائیں - . . . "مداخلت" . .]

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, चीनी मिलों में पिराई का काम समय से प्रारम्भ नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो पिछली बार इतने ही समय में जितने गन्ने की पिराई हो सकी थी उससे एक चौथाई गन्ने की पिराई आज तक नहीं हो पाई है। अभी तक किसानों का गन्ना खेत में खड़ा है जिसकी वजह से रबी की बुवाई जो कि समय से हो जानी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 117 चीनी मिलों में से 91 चीनी मिलों ने ही पिराई का काम प्रारम्भ किया है लेकिन 26 चीनी मिलें अब भी बन्द पड़ी हुई हैं। जल्दी ही इन 26 मिलों को चालू कराया जाना चाहिए जिससे कि पिराई का काम प्रारम्भ हो सके। साथ ही जो किसानों का बकाया है उसका शीघ्र भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): मैडम, मेरा इसमें एक सुझाव है।..(**व्यवधान**)..

उपसभापति: एक मिनट, आप इस तरह से खड़े होकर न बोलें। आप बैठिए। लिस्ट में आपका नाम नहीं है।..(**व्यवधान**)..

श्री मोहम्मद आज़म खान: यह एक बड़ी ही ज्वलन्त समस्या है। यह सही है कि ..(**व्यवधान**).. इसमें मेरा सुझाव यह है कि जितने भी प्राईवेट क्रशर्स हैं, उनको भी इस बात के लिए बाध्य किया जाये कि वे भी रेट दें जो सरकारी मिलों का रेट है गन्ने का। वहां पर भी अगर उस रेट का मानक तय कर दिया जाये तो जो सरकारी मिलें अभी तक नहीं चली हैं बहुत सी, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। पिछले दिनों,** यह बड़ी गर्म खबर है उत्तर प्रदेश में ...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: (बिहार) मैडम, ये गवर्नर साहब के बारे में क्या कह रहे हैं?... (**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद आज़म खान: अगर ...(**व्यवधान**)... मेरा यह सुझाव है...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप समाप्त कीजिए। आपका नाम नहीं है फिर भी आपको काफी बोलने दिया।...(**व्यवधान**)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: मैडम, अभी जो इन्होंने गवर्नर साहब के बारे में कहा है उसको एक्सपंज किया जाये।...(**व्यवधान**)..

उपसभापति: आई विल सर्च आउट. नहीं-नहीं, गवर्नर साहब के बारे में कुछ कहा है तो वह रिकार्ड पर नहीं आएगा।

RE. Urgent Need to Prevent Anti-National and Pro-LTTE Sentiments in Tamil Nadu

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (TAMIL NADU): Madam, I would like to raise a very serious issue before this House. That is why, Madam, I have requested you to kindly permit me to speak. Madam, five year have passed since the ghastly, tragic and shameful assassination of my beloved leader, Shri Rajiv Gandhi took place. I have the misfortune of being a witness to that heart-rending incident. It is a shame on this country and every Indian that more than $5^1{}_2$ years have passed and we have not been able to bring the murderers to justice. We have not been able to bring the accused, the guilty to book and punish them. In a mighty country like India, in a great country like India, one of the best loved leaders of this country was shot down in the prime of his life-- in my State, to my shame--and we have not been able to bring the culprits to justice. Madam, every year, in every Session, my colleagues and I raise this issue and various Ministers incharge of this keep telling us, trotting out

†[ ] Transliteration in Arabic script.
*Expunged as ordered by the Chair.